



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL
RAILWAY
मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे, नागपुर-440001
Divisional Office, Personnel Department, Kingsway, Nagpur-440001



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

No. P/NGP/WEL/HC/2022

Date: 27.12.2022

समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्यालय/बिलासपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/बिलासपुर
मंडल रेल प्रबंधक/बिलासपुर, रायपुर,
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/वै.र.शा./रायपुर,
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/मोतीबाग कार्यशाला नागपुर
उप.मुख्य भंडार नियंत्रक/सामान्य भंडार डिपो/रायपुर,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

SBF अधिसूचना- NGP/ महिला अवकाश शिविर/2021-22

विषय: कर्मचारी हित निधी नागपुर के तत्वाधान में आयोजित वर्ष 2021-2022 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत महिला रेलवे गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए अवकाश शिविर का आयोजन ।

क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधी द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत गैर-राजपत्रित महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए एर्नाकुलम मुनार, कोचीन क्षेत्र में मनोरंजन यात्रा/अवकाश शिविर/कैम्प हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।

महिला वर्ग के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित शर्तों पर एक अवकाश शिविर आयोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

- अवकाश शिविर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एर्नाकुलम मुनार, कोचीन क्षेत्र के लिए एसबीएफ समिती द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- अवकाश शिविर का आयोजन फरवरी-मार्च 2023 में संभावित है।
- अवकाश शिविर के लिए रेलवे कर्मचारियों को मेडिकल फिट होना आवश्यक है (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अंतिम सूची जारी होने पर प्रस्तुत किया जाना है)। यदि कोई महिला रेल कर्मचारी शिविर के लिए चयनित होती है तो अवकाश शिविर में भागीदारी के लिए उक्त कर्मचारी को अपनी छुट्टी और एक सेट सुविधा पास/पी.टी.ओ उपयोग करना होगा।
- बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था कर्मचारी हित निधी नागपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाएगा।
- कैंपों की अंतिम सूची वयस्क कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए, आयु के आधार पर तैयार की जाएगी।
- एकल अवकाश शिविर के लिए महिला कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है। अवकाश शिविर में बच्चों को ले जाने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।
- दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए 05 सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त एस्कॉर्ट/स्टाफ अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि दिव्यांग महिला कर्मचारी की भागीदारी अपर्याप्त होती है तो अन्य महिला कर्मचारियों को आयु के आधार पर चयन किया जाएगा।
- जो कर्मचारी पूर्व में इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे। इस सुविधा का लाभ पुरे कार्यकाल में एक बार लिया जा सकता है।
- वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/बिलासपुर एवं/रायपुर, , उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (निर्माण), कारखाना कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी एवं सहायक कारखाना कार्मिक अधिकारी, द्वारा सचिव कर्मचारी हित निधी नागपुर को आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व आवेदक की प्रामाणिकता/पात्रता माप-दंड को अपने स्तर पर जांच कर सुनिश्चित कर लें।

(x) चयनित होने पर प्रत्येक महिला कर्मचारी को रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र) की नाममात्र राशि अवकाश शिविर शुल्क के रूप में दौरे से पहले भुगतान करना होगा।

(xi) चयनित महिला कर्मचारी को शिविर के दौरान अवकाश शिविर के नियमों में रखी अन्य शर्तों के अधीन " शिविर आचरण" नियम का पालन करना होगा।

(xii) आवेदन नियत तारीख 27.01.2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक/संबन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर मुख्यालय/ मण्डल/कारखाना इकाई/यूनिट में प्रस्तुत करना होगा।

(xiii) अपूर्ण आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा एवं इसे निरस्त कर इस कार्यालय से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(xiv) मण्डल/कारखाना इकाई/यूनिट द्वारा पात्र आवेदकों की सूची (उम्र के अनुसार) नीचे दिये गए प्रारूप में भेजा जाये।

क्र	कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	पी.एफ. सं.	आधार नं.	सेवानिवृत्त की तिथि	दिनांक 01.01. 2023 को उम्र	मोबाईल नं.	टिप्पणी
-----	-----------------	----	-------	------------	----------	---------------------	----------------------------	------------	---------

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महिला रेल कर्मचारियों के बीच अवकाश शिविर का कृपया व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं अवकाश शिविर के लिए महिला कर्मचारियों की सूची, मुख्यालय/मण्डल/कारखाना इकाई/यूनिट द्वारा आवेदनों के साथ दिनांक 03.02.2023 को या पहले वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी नागपुर, कल्याण विभाग को भेजें।

आवेदन पत्र एवं घोषणा-पत्र का प्रारूप द.पू.म.रे नागपुर के वेब साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> > Nagpur Division > Personnel > Notification पर उपलब्ध रहेगा, उसे डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

नोट: अपरिहार्य कारण से आवश्यकता पड़ने पर स्थान एवं तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
संलग्न - आवेदन पत्र का प्रारूप, घोषणा पत्र।

(अदिति दुबे)

मंडल कार्मिक अधिकारी-II
कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए:

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मानव संसाधन विकास/मुख्यालय, बिलासपुर

व.मण्डल कार्मिक अधिकारी/द पू म रे, बिलासपुर एवं रायपुर

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड एवं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, बिलासपुर

प्राचार्य/बहु-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र, उस्लापुर/बिलासपुर

उप.मु.कार्मिक अधिकारी (निर्माण)/बिलासपुर

कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/मोतिबाग कार्यशाला/नागपुर, सहायक कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/वैगन रिपेयर

कार्यशाला/रायपुर, सहा.कार्मिक अधिकारी/सामान्य भंडार डिपो/रायपुर

महासचिव/द.पू.म.रेलवे मजदूर कॉंग्रेस/बिलासपुर, जोनल सचिव -AISCSTREA/BSP एवं

SECROBCEA/BSP

सर्व संबंधित, सूचना पटल

कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
अवकाश शिविर 2021-22 हेतु आवेदन पत्र (रेलवे महिला कर्मचारी हेतु)
(एर्नाकुलम मुनार,कोचीन के लिए)

प्रति

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(आर.पी),उप.मु.कार्मिक अधिकारी(निर्माण)/बिलासपुर
व.मण्डल कार्मिक अधिकारी/द पू म रे,बिलासपुर,रायपुर
सहायक कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/वैगन रिपेयर कार्यशाला/रायपुर
सहा.कार्मिक अधिकारी/सामान्य भंडार डिपो/रायपुर
सहा.कार्मिक अधिकारी/मोतिबाग कार्यशाला/नागपुर

विषय: वर्ष 2021-22 के अवकाश शिविर में भागिदारी हेतु आवेदन पत्र।

1	कर्मचारी का नाम	
2	पी.एफ.क्रमांक एवं आधार नं.	
3	पदनाम	
4	ग्रेड पे (छठवे वेतनमान के अनुसार),लेवल	
5	विभाग	
6	जन्म तिथि	
7	मुख्यालय/मण्डल/इकाई	
8	01 जनवरी 2023 को आयु	
9	सेवानिवृत्ति की तिथि	
10	इस आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र	(हाँ/नहीं).....
11	इस आवेदन के साथ संलग्न घोषणा पत्र	(हाँ/नहीं).....
12	क्या आपने विगत वर्षों में अवकाश शिविर की सुविधा/लाभ ली है?	(हाँ/नहीं)..... यदि हाँ तो कृपया स्थान एवं वर्ष का उल्लेख करें.....
13	पता एवं मोबाईल संख्या	
14	क्या आप दिव्यांग कर्मचारी है? उल्लेख करें (दिव्यांगता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	(हाँ/नहीं).....

घोषणा:

“मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही हैं यदि उनमें कोई भी गलत जानकारी पायी जाती है तो, अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूँगी और शिविर संबंधित मुझ पर खर्च की गई राशि को भी मेरे वेतन से कटौती किया जाएगा इसके अतिरिक्त रेल सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही के लिए भी मैं उत्तरदायी रहूँगी।

आपका आभारी,

आवेदक के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय/मण्डल/इकाई कर्मचारी कल्याण निधि समिती, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को अग्रेषित।

दिनांक:
स्थान

अग्रेषित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं
पदनाम (सील सहित)



अवकाश शिविर में जाने वाले कर्मचारी द्वारा घोषणा पत्र

- 1 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप अधिकारी के आदेशों का सत्यनिष्ठ होकर पालन करूँगी ।
- 2 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप अधिकारी द्वारा जिन स्थानों को भ्रमण हेतु चिन्हित किया गया है उन स्थानों को उन्हीं के साथ अर्थात् पूरी टीम के साथ भ्रमण करूँगी ।
- 3 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं टीम को छोड़कर अकेले अन्य स्थानों पर भ्रमण नहीं करूँगी ।
- 4 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप के दौरान किसी भी नशिली चीजों का सेवन नहीं करूँगी ।
- 5 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप के दौरान अन्य पर्यटकों एवं साथी कर्मचारियों के साथ ऐसा कोई कार्य/व्यवहार नहीं करूँगी जो कि एक भारतीय नागरिक/रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो ।
- 6 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप के दौरान दिये गए खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ लेने की स्थिती में स्वयं खर्च वहन करूँगी ।
- 7 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि नियमानुसार कैंप शुल्क रु. 500/- जमा करूँगी ।
- 8 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कैंप के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिती में स्वयं जिम्मेदार रहूँगी । दुर्घटना के संबंध में रेल प्रशासन से किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगी ।
- 9 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि कर्मचारी लाभ निधि के द्वारा आयोजित वर्तमान कैंप के अलावा पूर्व में आयोजित कोई भी कैंप में भाग नहीं लिया है ।
- 10 मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि ऊपर वर्णित कंडिका 1 से 8 तक का पालन करूँगी एवं मेरे द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिती में मुझ पर रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रशासन स्वतंत्र होंगे । इसके अलावा भी कैंप से निष्कासित किए जाने हेतु प्रशासन स्वतंत्र होंगे ।

दिनांक:
स्थान

घोषणाकर्ता/कर्मचारी का हस्ताक्षर
कर्मचारी का नाम:-
कर्मचारी का पी.एफ.सं:-
कार्यालय का पत्ता:-
मोबाईल नं:-

अग्रेषित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम (सील सहित)

